सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि	10 चैत्र, 1945 (श०)
	31 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) स्वास्थ्य विभाग	..	..	02
		कुल योग --	02

समिति का पुनर्गठन एवं ऑडिट कराना

87. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी अस्पताल यथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी0एम0सी0एच0, सोनपुर रेफरल अस्पताल, दिघवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपरा सदर अस्पताल, वैशाली हाजीपुर सदर अस्पताल आदि में रोगी कल्याण समिति सरकार के निर्णय के अनुसार कार्यरत है तथा इनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होने के बावजूद, तीन वर्ष पूरा होने पर इसका पुनर्गठन अथवा नवीनीकरण नहीं होता है साथ ही रोगी कल्याण समिति की कार्यों की जाँच-पड़ताल या ऑडिट का प्रावधान होने के बाद भी ऑडिट नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रोगी कल्याण समिति का पुनर्गठन समय पर नहीं करने तथा इनके कार्यों का प्रावधान के बावजूद ऑडिट नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

निकोटिनयुक्त द्रव्यों को पूर्णत: प्रतिबंधित करना

88. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निकोटीन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और कई घातक बिमारियों का वाहक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में निकोटिनयुक्त पान मसाला, गुटखा आदि के सेवन पर पूर्णत: प्रतिबंध के बावजूद पान मसाला के नाम पर निकोटिनयुक्त द्रव्यों का पुड़िया आदि के रूप में खुलेआम बिक्री की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध रूप से बिक्री किये जा रहे निकोटिनयुक्त द्रव्यों तथा निकोटीनयुक्त गुटखा को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 31 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 111(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550